	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 02, शुक्रवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 23, 2022 *Pausa 02 Friday , Saka 1944- December 23, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-।।

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 21, 2022

जी.एस.आर.117 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 से संलग्न अनुसूची-I (राज्य सेवा के पद) में,-

(i) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "50%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "40%" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "50%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "60%" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ.5(2)डीओपी/ए -II/91 पार्ट-II]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.II

NOTIFICATION

Jaipur, December 21, 2022

G.S.R.117 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Computer State and Subordinate Service (Second Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule-I.- In SCHEDULE-I (POSTS IN STATE SERVICE) appended to the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992,-

(i) in column number 3, against serial number 5, for the existing expression "50%", the expression "40%" shall be substituted; and

(ii) in column number 4, against serial number 5, for the existing expression "50%", the expression "60%" shall be substituted.

[No. F. 5(2)DOP/A-II/91 Pt.-II]
By order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.